ताकि ठीक से काम करे सीबीआई

राजेन्द्र शेखर

पूर्व निदेशक, सीबीआई

लोकपाल और सीबीआई : सीबीआई को विभाजित करना ठीक नहीं होगा। सीबीआई को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि यह एजेंसी अपना मौलिक काम कर सके।

किसी भी संस्था की उपयोगिता में निखार लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कोई कदम उठाने से पहले गूढ़ और बेलाग विश्लेषण कर लिया जाए। लोकपाल बिल के संदर्भ में सीबीआई एक अपरिभाषित क्षेत्र हो गया है, जिसके अस्तित्व पर पुनर्विचार इस मुद्दे पर हो रहा है कि भविष्य में उसका रिश्ता लोकपाल/सीवीसी से क्या होगा। एक राय है कि इस संस्था का विभाजन कर दिया जाए और इसकी भ्रष्टाचार निरोधी शाखा लोकपाल में विलय कर दी जाय। दूसरी इसके विपरीत राय है कि सीबीआई सीवीसी के तहत कार्य करे और उसकी कार्यवाही का दायरा संयुक्त सचिव से कनिष्ठ नौकरशाहों तक ही सीमित कर दिया जाए।

सीबीआई की मौजूदा कार्य प्रणाली के बारे में भी मुखर विरोधाभास है। एक ओर, तो इसे सत्तारूढ़ सरकार के पिट्ठू होने की संज्ञा दी जाती है और उपहासपूर्ण लहजे में इसे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन कह दिया जाता है। दूसरी ओर, हर विवादास्पद और उच्चस्तरीय आपराधिक मामले में जनता की ही नहीं, बल्कि उसे सरकार का पिट्ठू कहने वाले नेताओं की भी पुरजोर मांग होती है कि केस सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। ये परस्पर विरोधी राय और मांगें इस वजह से हैं, क्योंकि सीबीआई की उपयोगिता का पूर्ण लाभ उठाने की कामना स्वार्थी घटकों के नीचे दब कर रह गई है। वर्तमान में जितने भी उच्चस्तरीय मामले सीबीआई के पास हैं, सामान्यतः सभी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अनुसंधानित हो रहे हैं। इसलिए मौजूदा सरकार हस्तक्षेप करना भी चाहे, तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि सीबीआई जैसी संस्थाओं के हाथ पैर हैं, लेकिन आवाज नहीं है, इसलिए वह सरकार के दबाव में पक्षपात के इल्जामों का मीडिया या अन्य प्रत्यक्ष माध्यमों के जरिये खंडन करने में असमर्थ है। हाथ-पैर होते हुए भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है, क्योंकि वे किसी खूंटे से बंधे रहते हैं, चाहे वह अंकुश सरकार या सीवीसी या न्यायालय का हो। अतः इसे बेलाग, निष्पक्ष और समर्थ बनाने का संकल्प है, तो सर्वमान्य विकल्प यही है कि सीबीआई को लोकपाल में बराबरी का दर्जा मिले और वाजिब स्वायत्तता भी प्रदान की जाए।

इस मुद्दे पर विस्तार में बात की जाए, तो सीबीआई ने अपनी शालीन शुरुआत 1941 में विशेष पुलिस संस्था (स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) के रूप में की और आज वह देश की सबसे अग्रणी अनुसंधान एजेंसी मानी जाती है। सीबीआई ने कई बड़े मामलों को सुलझाया है। मामले केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं थे, बल्कि आर्थिक, संगठित और परम्परागत अपराध के मामले भी शामिल थे। अपराध के रावणनुमा कई मुखौटे होते हैं, इसलिए सीबीआई ने उचित दक्षता हासिल करने के अलावा अपने साथ ऐसे औजार सम्मिलित किए, ताकि अपराध के बहुमुखी दानव से कुशलतापूर्वक लड़ सके।

सीबीआई से ईमानदारी व व्यावसायिकता के उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है।

मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री

डॉ. सिंह ने कहा, सीबीआई [illegible] राजनीतिक दबाव से परे [illegible] चाहिए।

अतः सीबीआई की तत्परता से मदद के लिए उसके अधीन, अपने खुफिया विभाग, अभियोजन शाखा, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता संस्थान हैं और विदेशों से जानकारी जुटाने के लिए इंटरपोल का सहारा है। सीबीआई इंटरपोल के लिए इस देश की नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी औसतन एक केस के अनुसंधान पर केवल एक से दो साल लेती है, जबकि अदालतों का 10 से 12 साल का औसत है। सीबीआई के मुकदमों में सजा का प्रतिशत 70 है, जो अनुकरणीय है।

यदि इसकी भ्रष्टाचार निरोधी विंग का लोकपाल में विलय हो गया, तो ये सब लाभ मिट्टी में मिल जाएंगे, सीबीआई के बचे हुए अंग पंगु हो जाएंगे। इस वक्त सीबीआई के 7200 केस न्यायालयों में लंबित हैं, जिनमें 222 केस 20 साल से और 1282 केस 10-20 साल से विचाराधीन हैं। क्या विभाजित सीबीआई इन मामलों पर निकट निगरानी रख पाएगी?

इन सब कारणों के मद्देनजर सबसे बेहतर समाधान यही होगा कि निदेशक सीबीआई का कार्यकाल 5 साल हो और उसे लोकपाल संस्था का पदेन सदस्य बनाया जाए तथा उसे अनुसन्धान टीमें बनाने का और कार्य आवंटित करने का पूर्ण अधिकार हो। असल में तो कुछ अरसे पहले न्यायिक कार्यों के लिए संसदीय स्टेंडिंग समिति ने सिफारिश की थी कि सीबीआई निदेशक को वही ओहदा, अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, जो अन्य देशों में उसके प्रतीरूपी, जैसे कि एफबीआई को अमरीका में मिले हुए हैं।

इसके अलावा निदेशक सीबीआई के जरिये लोकपाल को भ्रष्टाचार सम्बंधी मामलों पर सामान्य अधीक्षण करने का अधिकार हो। लोकपाल में सीबीआई के संचालन हेतु आर्थिक, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार निहित हों। इसी के साथ सीबीआई को अनुसंधान समाप्ति पर न्यायालयों में चालान करने का पूर्ण अधिकार हो और जिन मामलों को लोकपाल ने सीबीआई को सुपुर्द किया है, उनमें सीबीआई द्वारा लोकपाल को उचित प्रणाली के तहत सूचित करने का प्रावधान हो। यदि लोकपाल को उच्च नौकरशाही के खिलाफ कार्यवाही के अधिकार दिए जाते हैं, तो सीबीआई उन मामलों में सम्बंधित कानून के तहत लोकपाल से स्वीकृति लेकर चालान करेगी। इसके अलावा लोकपाल के पास अपील, रिवीजन, विशेष वकीलों/अभियोजकों की नियुक्ति आदि का भी अधिकार होना चाहिए।

इसी तर्ज पर प्रदेशों में लोकायुक्तों और भ्रष्टाचार निरोधी विभागों के सम्बन्ध तय होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटक, सीवीसी (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) है, जिसपर सीबीआई के कार्य पर निगरानी रखने का जिम्मा है। इस नई प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने पर सीवीसी का सीबीआई से सम्बन्ध विच्छेद हो जाएगा और सीवीसी अपने प्रारम्भिक उत्तरदायित्व (केन्द्रीय विभागों में सतर्कता का काम) पर लौट सकेगी।